रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 397] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 1972/भाद्र 14, 1894

No. 397] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 1972/BHADRA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 5th September 1972

S.O. 576(E)/15/IDRA/72.—Whereas the industrial undertaking known as M/s. Shama Forge Company Limited, Bhopal, is engaged in the scheduled industry, namely, the Metallurgical Industry;

And whereas it has come to the notice of the Central Government that the volume of production of the articles manufactured in the said industrial undertaking had been gradually going down and the production has now come to a standstill consequent upon the closure of the said industrial undertaking by the management for which, having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient to take urgent measures to remedy the situation arising out of the closure of the said industrial undertaking and to ensure that the production in the said scheduled industry does not suffer to the detriment of the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central

Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri M. Behl, Director of Industries, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

Members

2. Shri S. S. Tomar, Industrial Advisor, Directorate General of Technical Development, New Delhi.

3. Shri H. C. Sharma, Assistant Manager, Industrial Finance Corporation of India, New Delhi.

The said body shall submit its report within six weeks from the date of publication of this Order in the official Gazette.

[No. F. 2(29)/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1972

का० आ० 576(अ)/15/आई डी आर ए/72.—यत: मैसर्स शमा फोर्ज कम्पनी लिमिटेड, भोपाल नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग अर्थात्, धातुकर्मीय उद्योग में लगा हुआ है;

और यत: केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह आया है कि औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का परिमाण धीरे-धीरे कम होता रहा है और प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम के बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन में अब बिल्कुल गतिरोध, जिस का विद्यमान आर्थिक दशाओं को देखते हुए कोई औचित्य नहीं है, आ गया है;

और यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के बन्द हो जाने से उत्पन्न परिस्थिति के उपचार, और यह सुनिश्चित करने को कि उक्त अनुसूचित उद्योग में उत्पादन लोक हित पर प्रतिकूल रूप में न गिरे तुरंत कार्यवाही करना समीचीन है;

अत:, अब उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 15) की धारा 15 द्वाराप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, मामले की परिस्थितियों का पूर्णरूपेण अन्वेषण करने के प्रयोजन से एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों से बना एक निकाय नियुक्त करती है :—

1. श्री एम० बहल, निदेशक उद्योग, मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल। अध्यक्ष

श्री एस० एस० तोमर, औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली। सदस्य

3. श्री एच० सी० शर्मा सहायक प्रबन्धक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली। सदस्य

2. उक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[सं० फा० 2(29)/72-सी यू सी]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972